बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

विषय : **अंगिका भाषा एवं साहित्य के विकास तथा उसकी गौरवमयी सांस्कृतिक परम्परा के पोषण एवं संरक्षण के उद्देश्य से बिहार अंगिका अकादमी की स्थापना ।**

राज्य सरकार द्वारा अंगिका भाषा एवं साहित्य के विकास तथा उसकी गौरवमयी सांस्कृतिक परम्परा के संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से वार्षिक योजना 2015–16 के अन्तर्गत "बिहार अंगिका अकादमी" की स्थापना का निर्णय लेते हुए इस निमित्त वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत रूपया पाँच लाख मात्र टोकन स्वरूप स्वीकृत किया गया है।

2. यह अकादमी सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था होगी, जिसके संचालन हेतु उसकी उपविधि होगी। इसके समुचित संचालन के लिए एक कार्य समिति तथा एक सामान्य समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, जिससे अकादमी अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

3. अकादमी के संचालन पर होने वाले व्यय का विकलन "मुख्य शीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघु शीर्ष–004–अनुसंधान–उपशीर्ष–0121–बिहार राज्य भाषा अकादमी –विपत्र कोड–P2202800040121–राज्य योजना स्कीम कोड–HRD-5408 विषय शीर्ष–3104– सहायक अनुदान वेतन अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय 2015–16 में होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाएं।

ह0/–
(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–15/एम 4–01/2015 .... पटना, दिनांक..........

प्रतिलिपिः–सी0डी0 सहित अधीक्षक, राजकीय मुद्रणायल, गुलजारबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इसे शीघ्र राजकीय गजट में प्रकाशित कर इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जायें।

ह0/–
(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–15/एम 4–01/2015–1251 .... पटना, दिनांक 30/6/15

प्रतिलिपिः– मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/विभाग के अधीन गठित सभी अकादमियों/संस्थानों के निदेशक/बजट पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी सहित/प्रशाखा 14 एवं 15 के सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि वे इसे शीघ्र विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कर दें।

(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव